[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 75/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20	8517 62 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं, यथा:- (क) रिस्ट वियरेबल डिवाइसेस् (सामान्यत: जिन्हें स्मार्ट वॉचेस् के नाम से जाना जाता है (ख) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट एक्यूपमेंट (ग) पैकेट आप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) के एक या एक से अधिक संयोजन (घ) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) प्रोडक्ट्स (ङ) आईपी रेडियोस्	10%	-
21	8517 69 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं, यथा:-	10%	-"

		(क) सॉफ्ट स्विचस् या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) उपकरण जैसे कि वीओआईपी फोनस्, मीडिया गेट वेज, गेटवे कंट्रोलर और सेशन बॉर्डर कंट्रोलर्स (ख) कैरियर इथरनेट स्विचस् , पैकेट ट्रांसपोर्ट नोट्स (पीटीएन) प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोटॉकाल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) प्रोडक्ट्स (ग) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) और लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स		

2. यह अधिसूचना 12 अक्तूबर, 2018 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/374/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के तहत संशोधन किया गया है ।